

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

उनवान

1. श्री हमेरलाल मुतबन्ना स्व. कमला गाडरी निवासी धारता तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री भगा पिता गोकल गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
2. श्रीमती गमेरबाई पुत्री गोकल पत्नी उदा गाडरी निवासी आमली तह. मावली।
3. श्रीमती नोजीबाई पुत्री गोकल पत्नी लालुराम गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
4. श्रीमती कंकु पत्नी उंकार गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
5. श्रीमती भोलीबाई पुत्री उंकार पत्नी लालुराम गाडरी निवासी आमली तह. मावली।
6. श्री खेमराज पिता उंकार गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
7. श्री मोती पत्नी राम गाडरी निवासी धारता तह. मावली।
8. श्री भगु उर्फ लोगी पुत्री राम पत्नी पेमा गाडरी निवासी साकरिया खेडी तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 15/18 वाद

निर्णय दिनांक : 10.02.2018

वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 152 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 227, 236, 496 किता 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 87, 88, 89 किता 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 26 से 29, 33 से 36 किता 8 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि में कमला पिता जीवा के बजाय वादी हमेरलाल को एवं आराजी नम्बर 144 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 76, 102, 121, 678, 679 किता 5 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 100, 106, 122 किता 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि में भूरीबाई बेवा कमला के बजाय वादी हमेरलाल को एवं आराजी नम्बर 613, 614, 615 किता 3 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि में खातेदार कमला पिता जीवा के बजाय वादी हमेरलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

10/2/18

(जितेन्द्र ओझा)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर मावली